


दिनांक: 06.04.2026

PARENT-TEACHERS ASSOCIATION

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम-2016 की धारा 4(1)(b) के अधीन हमारे विद्यालय में Parent-Teachers Association 2026-27 का गठन किया जाना है। इस धारा के अनुसार विद्यालय के सभी Teachers एवं अभिभावक इस Association के सदस्य होंगे। अतः इस धारा की अनुपालना में, मैं आज दिनांक 06.04.2026 को हमारे विद्यालय हेतु Parent-Teacher Association 2026-27 का गठन करती हूँ।


जूही शाह
प्राचार्या

